

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली

कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें दिनांक 07.07.18 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित संस्था प्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि :-

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें।
3. प्रबोधक तथा पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया हैं, ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
5. शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
6. गैर प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2012 के पश्चात् की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
7. प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.2008 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
8. टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
9. लेवल-1 एवं लेवल-2(सामान्य) के अध्यापक को लेवल-1 के पद पर एवं लेवल-2 के अध्यापक को संबंधित कार्मिक के विषयानुसार ही कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करावें।
10. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गम्भीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रैन ट्रूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उन्हें मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।
11. संबंधित संस्थाप्रधान निर्धारित अवधि तक स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दु संख्या 1 से 10 के अन्तर्गत वर्धित निर्देशों की पालना में कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने की स्थिति में सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संलग्न सूची



(हरीराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली

क्रमांक :- जिशिअ/माशि/संस्था-1/कैम्प-जयपुर/फा-स्था./2018/ 138

दिनांक: 29.06.18

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ राउमावि/रामावि।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।




(हरी राम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली

जिशिअ / माशि / करौली / संस्था—। / फा.स्था. / 138 दिनांक 29.06.18

क्र.सं.	नाम	पद	विषय	कहाँ से	जिला	कहाँ को	ब्लॉक
1	धनराज मीना	अध्यापक	सा.वि.	राउमावि झारेडा हिण्डोन से राउमावि चौडागांव सपोटरा स्थानान्तरण धीन	करौली	राउमावि अलीपुरा	हिण्डोन
2	बृजमोहन मीना	अध्यापक	हिंदी	राउमावि महूरनगर	करौली	राउमावि जोडली	सपोटरा
3	मनहरी मीना	अध्यापक	हिंदी	राउमावि किरवाडा	करौली	राउमावि कुडगांव	सपोटरा
4	अमरसिंह मीना	अध्यापक	सा.वि.	राउमावि अलीपुरा	करौली	राउमावि चौडागांव	सपोटरा
5	रामूलाल गोयल	अध्यापक	लेबल—।	राउमावि खेडलानीमौदा से रामावि मालियोंकी ढाड़ी रायसना नादौती स्थानान्तरण धीन	करौली	रामावि परदमपुरा	सपोटरा
6	अनिलकुमार गोदहन	अध्यापक	लेबल—।	रामावि विशनपुरा टोडाभीम	करौली	रामावि धुरसी	हिण्डोन
7	उम्मेद सिंह राजपूत	अध्यापक	लेबल—।	राउमावि नादौती करौली से राउमावि निवारु ब्लॉक झोटवाडा जयपुर स्थानान्तरण धीन	करौली	राउमावि नादौती में यथावत	नादौती
8	रामप्रसाद जाटव	अध्यापक	लेबल—।	रामावि धुरसी	करौली	रामावि विशनपुरा	टोडाभीम
9	राजेश गुप्ता	अध्यापक	लेबल—।	राउमावि गुनसार	करौली	राउमावि करणपुर	मण्डरायल
10	गजराज वैरवा	अध्यापक	लेबल—।	राउमावि नादौती	करौली	रामावि मालियोंकी ढाड़ी रायसना	नादौती
11	इदरीस अहमद	शा.शि.	गाा	रामावि मुकन्दपुरा हिण्डोन	करौली	राउमावि जीरौता	सपोटरा
12	उंकार लाल	शा.शि.	गाा	राउमावि खूण्डा	करौली	रामावि मांची	करौली
13	विष्णुचन्द गुप्ता	शा.शि.	गाा	राउमावि करणपुर	करौली	रामावि लखरुकी	करौली
14	नंगुलाल कुम्हार	शा. शि.	गाा	राउमावि भंगो	करौली	राउमावि कंजोली	टोडाभीम
15	ओमप्रकाश डागुर	शा. शि.	गाा	राउमावि कंजोली	करौली	राउमावि भंगो	हिण्डोन

क्रमांक 4,8,9,10 एवं 11 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा—भत्ता एवं योगकाल देय होगा


 (हरीराम मीना)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक करौली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली

कार्यालय आदेश

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें दिनांक 07.07.18 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित संस्था प्रधान कार्मिकों के कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि :-

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/ निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गम्भीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रैन ट्रायमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उन्हें मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।
5. संबंधित संस्थाप्रधान निर्धारित अवधि तक स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दु संख्या 1 से 4 के अन्तर्गत वर्गित निर्देशों की पालना में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाये जाने की स्थिति में सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संलग्न सूची

(हरीराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली

क्रमांक :- जिशिअ/माशि/करौली/संस्था-1/कैम्प-जयपुर/फा-स्था./2018/ 139

दिनांक: 29.06.18

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक।
5. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ राउमावि/रामावि।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।


(हरीराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली

जिशिअ / माशि / करौली / संस्था - । / फा.स्था. / 2018 / 139 दिनांक 29.06.18

क्र.सं.	नाम	पद	विषय	कहाँ से	जिला	कहाँ को	ब्लोक
1	श्यामबाबू शर्मा	कनिष्ठ सहायक	-	राउमावि डाबरा	करौली	राउमावि बरगमा	हिंडोन
2	विजयकुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	-	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली	करौली	राउमावि इनायती	सपोटरा
3	योगेशकुमार गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	-	राउमावि महमदपुर सपोटरा	करौली	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मा) करौली	करौली
4	रविकान्त वर्मा	कनिष्ठ सहायक	-	राउमावि जटवाडा	करौली	राउमावि नागलपहाड़ी	टोडाभीम
5	भूरी देवी	च.श्रे.कर्म.		रामावि पीलवा	करौली	राउमावि मोरडा	टोडाभीम
6	शबनम	च.श्रे.कर्म.	-	राउमावि करसाई	करौली	राउमावि करौली	करौली
7	रामरज वर्मा	च.श्रे.कर्म.	-	राउमावि करौली	करौली	राउमावि करसाई	करौली

क्रमांक 7 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा



21/07/18
(हरीराम मीना)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली